

**झारखण्ड सरकार**  
**स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग**  
**(माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)**

-: शुद्धि पत्र:-

संख्या- 09/(+2वि.) 03-53/2024


29

राँची, दिनांक 07/01/2025

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा निदेशालय), झारखण्ड, राँची के आदेश संख्या-2743 दिनांक 27.09.2024 (भौतिक शास्त्र), 2744 दिनांक 27.09.2024 एवं शुद्धि पत्र संख्या-2763 दिनांक 30.09.2024 के द्वारा झारखण्ड राज्यान्तर्गत +2 विद्यालयों में नवनियुक्त स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों का पदस्थापन किया गया है, जिसमें कतिपय विद्यालय में Over Unit हों जाने के कारण दिनांक 24.12.2024 को सम्पन्न राज्य स्तरीय स्थापना समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में निम्नानुसार पदस्थापन में संशोधन किया जाता है-

S NO	SUBJECT	ROLL NO	NAME	FATHER'S NAME	पूर्व में पदस्थापित विद्यालय का नाम	संशोधित पदस्थापित विद्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	GEOGRAPHY	11516286	ASHIKA KIJUR	JUSTUS KIJUR	UPG +2 HIGH SCHOOL, HURDA, SIMDEGA	UPG +2 HIGH SCHOOL, PAKAIRTAND, SIMDEGA	Over Unit
2	PHYSICS	10712161	SATISH SAW	MUNSHI SAW	UPG +2 HIGH SCHOOL, DHUBBA, KODERMA	PROJECT +2 HIGH SCHOOL, BIRHU, CHATRA	Over Unit
3	GEOGRAPHY	10417030	SONI KUMARI	ISHWAR SAW	HIGH SCHOOL HATGAMAHARIA +2, WEST SINGHBHUM	HIGH SCHOOL JAINTHGARH, JAGANNTHPUR (RS) +2, W. SINGHBHUM	Over Unit
4	GEOGRAPHY	11516407	ZEBA ZAREEN	MD ZAFIRUL HAQUE	RAJKIYEKRIT KALYAN +2 HIGH SCHOOL PANDU, PALAMU	UPG +2 H.S KOLKUSMA, DHANBAD	Over Unit

- मात्र उपर्युक्त मामले में संबंधित शिक्षकों के पदस्थापन विद्यालय में योगदान तिथि को दिनांक 31.01.2025 तक विस्तारित किया जाता है।
- इस संदर्भ में पूर्व में निर्गत शेष आदेश/निर्देश यथावत् रहेंगे।


  
(आदित्य रंजन)  
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,  
झारखण्ड, राँची।

(कृ०पृ०उ०)

राँची, दिनांक 07/01/2025

ज्ञापांक-09/(+2वि.) 03-53/2024 29

प्रतिलिपि:-माननीय विभागीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/प्रभारी सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव (स्थापना), माध्यमिक शिक्षा, झारखण्ड, राँची/संबंधित उपायुक्त/संबंधित क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक/संबंधित सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी/संबंधित प्रभारी प्राचार्य एवं संबंधित नवनियुक्त स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,  
झारखण्ड, राँची।